राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website :www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 1810 दिनांक :14/03/2024

आयुक्त,
नगर निगम,
जयपुर (हेरिटेज)।

विषयः–इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत (IRGY) अनुमोदित प्रस्तावों को संशोधित किये जाने के दिशा–निर्देशों के संबंध में।

प्रंसगः–आपका पत्रांक 660 दिनांक 20.02.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेतु वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 7 अनुसार कार्यों के चयन / चिह्निकरण तथा कार्य–योजना तैयार करने हेतु निकाय के आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी को अधिकृत किया गया है तथा बिन्दु संख्या 8(iv) के अनुसार प्रस्तावित कार्यों का अनुमोदन सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा किया जाना है।

मार्गदर्शिका के बिन्दु सं. 9(c) के अनुसार जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एवं जिला स्तरीय नोडल निकाय के आयुक्त को उक्त समिति में सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है (जयपुर हेरिटेज हेतु विभागीय पत्रांक 41085–118 दिनांक 26.05.2022)।

विभागीय पत्रांक 14013–252 दिनांक 20.06.2023 द्वारा कार्यों की स्वीकृति एवं पत्रावली संधारण हेतु जारी प्रपत्रों के अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं संशोधित वित्तीय स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अनुमोदन के पैरा का उल्लेख करते हुए कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रावधानों एवं निर्देशों के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि जिले की समस्त निकायों में कार्य–योजना अनुमोदन, कार्यों में संशोधन, निरस्तीकरण, समयावधि परिवर्तन व कार्यों को पोर्टल से हटवाये जाने की स्वीकृति तथा योजनान्तर्गत संविदा कार्मिकों की सेवा संबंधी प्रकरणों का अनुमोदन जिला स्तरीय नोडल निकाय के माध्यम से सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक से करवाया जावे।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःएफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 1811-2111 दिनांकः14/03/2024

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY), समस्त राजस्थान।
3. अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. परियोजना निदेशक (IRGY), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद् / पालिका, समस्त राजस्थान।
8. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
6043168

Document certified by SURESH KUMAR OLA <sureshola5788@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh Kumar Ola
Designation : Director
Date :13-03-2024 01:50:24

D/LETTER 3rd/ A/1

Scanned with CamScanner